



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. 1557 का संशोधन सहित नवीकरण/
Amendment Cum Renewal of Type Approval No.1557

मद/FOR ITEM: नॉन रिटर्न वाल्व (एन आर वी), व्यास 10 मिमी,
पार्ट सं. ए1के-आई7-1160 000 002 और ए1के-आई7-1160 000 003/

Non Return Valve (NRV) Dia 10 mm,
Part No. A1K-I7-1160-000-002 & A1K-I7-1160-000-003

यह घोषित किया जाता है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए), बेंगलूरु-17 द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (जीटीटीसी), बेंगलूरु - 560 010, द्वारा उत्पादि " नॉन रिटर्न वाल्व" व्यास 10 मिमी, पार्ट सं. ए1के-आई7-1160 000 002 और ए1के-आई7-1160 000 003 को पत्र सं. सेमिलैक/5070/टीए-1557, दिनांक 12 नवंबर 2010, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1557 जारी किया गया था जो कि 31 दिसंबर 2015 तक वैध था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1545/अनुशेष-1, दिनांक 19 अप्रैल 2011 और बाद में संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1557/1ए दिनांक 31 मई 2013 द्वारा अनुशेष जारी किया गया था एवं संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1554 और 18 टीएएस/1ए/संशोधन-1, दिनांक 15 दिसंबर 2015 द्वारा संशोधन जारी किया गया था।

This is to state that the "Non Return Valve (NRV)", Dia 10 mm bearing the Part No. A1K-I7-1160-000-002 & A1K-I7-1160-000-003, designed and developed by Aeronautical Development Agency (ADA), Bengaluru-17 & manufactured by Govt. Tool Room & Training Center (GTTC), Bengaluru - 560 010, was issued with Type Approval No. 1557 vide letter No. CEMILAC/5070/TA-1557, dated: 12th Nov 2010, with validity up to 31st Dec 2015. Subsequently Addendum issued vide Ref No.: CEMILAC/5070/TA-1545/Addm-1 Dt. 19th Apr 2011 & further Addendum issued vide Ref No.: CEMILAC/5070/TA-1557/1A Dt. 31st May 2013 & Amendment issued vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1554& 18 TAs/1A/Amd-1 Dt.: 15th Dec 2015.

2. निम्नलिखित संशोधन वर्ग अनुमोदन सं. 1557 एवं उसके परिशिष्ट -ए में लागू होगा

The following Amendment is effected in Type Approval No.1557 and its Appendix -'A'

| <i>Wherever for</i> | <i>Read as</i> |
|---------------------|--|
| A1K-I7-1160-000-002 | A1K-17-1110-000-002 for HJT & LCA Tejas Aircraft |
| A1K-I7-1160-000-003 | A1K-I7-1160-000-003 for LCA Tejas Aircraft only |

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जून 2017 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा यह 31 मई 2022 तक वैध रहेगा बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ति नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबंधित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st June 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st May 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), (3) three months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejection, if any, and its cause.

4. संदर्भ सं. सेमिलैक/56070/टीए-1557 दिनांक 12 नवंबर 2010 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा।

The Para four of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/56070/TA-1557, Dated: 12th November 2010 will be Amended as stated herewith.

5. अगर इस वर्ग अनुमोदन के संलग्न टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.

6. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1557/Amd-2/1R

दिनांक/Date : 23 June 2017

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856


23/06/17
KQ
23/6/17


पी जयपाल / P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)